संख्या–215/21–1–2013–सीएम–13/2011टी0सी0

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4–समस्त निगमों/परिषदों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश।

भाषा अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 18-जुलाई, 2013

विषय– समस्त सरकारी कार्यालयों के नामपट्ट तथा अधिकारियों के नाम/पदनाम को हिन्दी/उर्दू में लिखा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–112एम/21–1–94–1(5)/94, दिनांक 06 मई, 1994, संख्या–3281/21–1–94–1(94), दिनांक 22 दिसम्बर, 1994, संख्या–515/21–1–2003–सा–8/2003, दिनांक 14 सितम्बर, 2003 एवं पत्र संख्या–सी0एम0–18/21–1–2012–सी0एम0–13/2011, दिनांक 22 नवम्बर, 2012 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त आदेशों के बावजूद सरकारी कार्यालयों के नामपट्ट हिन्दी में तथा उसके नीचे उर्दू में लिखे जाने के आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, यह स्थिति खेदजनक है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी कार्यालयों का नाम और अधिकारियों के नाम/पदनाम हिन्दी के साथ उर्दू में भी लिखे जाने सम्बन्धी उक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।

संख्या–215(1)/21–1–2013–सी0एम0–13/2011टी0सी0–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
3– प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त मंत्रीगण के निजी सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5– महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
6– सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7– उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(डा0 ललित वर्मा)
प्रमुख सचिव।